''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97-फ ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2002—वैशाख 3, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3053/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. एस. उबोवेजा**, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2002)

# छत्तीसगढ़ कराधान ( संशोधन ) अधिनियम, 2002

**छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 ( क्रमांक 15 सन् 1982 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रारंभ.**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 12 सन् 2002) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगा.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1982 का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.**

2. छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगी.

**धारा 7 का संशोधन.**

3. प्रमुख अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत" स्थापित किये जाएंगे.

रायपुर: **भारसाधक सदस्य**

तारीख :

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3053/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 12 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**आई. एस. उबोवेजा,** उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No.12 of 2002)

## THE CHHATTISGARH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

**An Act further to amend the Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

**Short title. Extent and Commencement.**

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 12 of 2002).

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh State.

(3) It shall come in to force from the date of publication in the official Gazette.

**Chhattisgarh Act No. 15 of 1982 to be temporarily amended.**

2. The Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

**Amendment of Section 7.**

3. In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words "two percent" the words "three percent" shall be substituted.

Raipur : **Member-in-charge**
Dated :

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.